न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्याः – 86/2019 प्रार्थना पत्र

GCMS No. – 2019/00218

1. नारायणलाल पिता मांगीलालजी जाति ब्राहम्ण निवासी टाटरमाला तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ

बनाम

1. शंकरलाल पिता पृथ्वीराजजी जाति ब्राहम्ण निवासी टाटरमाला तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।
2. भूमिधारी तहसीलदार निम्बाहेडा निम्बाहेडा
3. उपपंजियक महोदय निम्बाहेड़ा।

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र. अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम– 1955

उपस्थित :– 1– श्री नरेन्द्र कुमार वैष्णव – अधिवक्ता प्रार्थी
2– श्री अनुराग औझा – अधिवक्ता विपक्षी 1

:: निर्णय :: दिनांक :– 06.11.2024

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि प्रार्थी व विपक्षीगण की संयुक्त स्वामित्व आधिपत्य की पुश्तैनी पैतृक आराजियात वाके मौजा टाटरमाला पटवार हल्का मिण्डाना तहसील निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 109 की आराजी नंबर 74 रकबा 1.1700 हैक्टेयर, आराजी नंबर 172 रकबा 0.2800 हैक्टेयर, आराजी नंबर 376 रकबा 0.2500 हैक्टेयर, आराजी नंबर 377 रकबा 0.2200 हैक्टेयर, आराजी नंबर 381 रकबा 0.3700 हैक्टेयर, आराजी नंबर 382 रकबा 0.3200 हैक्टेयर कुल किता 6 कुल रकबा 2.6100 हैक्टेयर स्थित है व खाता संख्या 146 की आराजी नंबर 525 रकबा 0.0100 हैक्टेयर गेमुचाह, आराजी नंबर 526 रकबा 1.2600 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.2700 हैक्टेयर स्थित है।

2. वाद ग्रस्त आराजीयात प्रार्थी एवं विपक्षीगण की संयुक्त स्वामित्व अधिपत्य की पुश्तैनी पैतृक आराजीयात है जो प्रार्थी के बाप दादाओं के जमाने से चली आ रही हैं, वादग्रस्त आराजीयात में 1/2 हिस्सा प्रार्थी के पिता मांगीलालजी का एवं 1/2 हिस्सा विपक्षी नं० 1 शंकरलालजी का रहा है, तथा प्रार्थी के पिता मांगीलालजी एवं विपक्षी नं० 1 पृथ्वीराजजी दोनो शामिल शरीक रहते थे और दोनो का संयुक्त हिन्दु परिवार था, तथा संयुक्त हिन्दु परिवार की आय से खाता नं0 146 की आराजीयात जिसको तालाब वाला कुआ के नाम से जाना जाता है उक्त भूमि को मांगीलालजी एवं शंकरलालजी ने मिलकर आज से करीब 55 वर्ष पूर्व शंकरलालजी के नाम पर कराई थी और दोनो भाई उक्त आराजीयात पर संयुक्त रुप से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे थे उक्त आराजीयात को शंकरलालजी के नाम पर कराने के बाद उक्त आराजीयात को दोनो भाईयों ने मिलकर काबिल काश्त कराया जमीन से पत्थर, चट्टाने आदि निकलवाई तथा पुराने झाड झंकाड निकलवाये, ओर हकवा कर मिट्टी डलवाई देशी खाद डलवाया लाखो रुपये खर्च कर आबाद कराया, दोनो भाईयों ने [illegible] उक्त आराजीयात के 1/2 हिस्से पर प्रार्थी के पिता मांगीलालजी करीब [illegible] वर्ष [illegible] 1/2 हिस्से पर संयुक्त रुप से शांतिपूर्ण तरीके से बिना किसी बाधा के लगातार [illegible] होकर काश्त करते चले आ रहे थे. तथा सभी वादग्रस्त आराजीयात को [illegible] से करीब 35 वर्ष पूर्व मांगीलालजी व शंकरलालजी ने मौखिक रुप से बाहमी तौर से [illegible]टवारा कर अपने अप[illegible]से अलग कर दिये तथा वादग्रस्त सभी आराजीयात में 1/2 हिस्सा मांगीलाल का व 1/2 हिस्सा शंकरलालजी का रखा। प्रार्थी के पिता मांगीलालजी का देहान्त करीब 3 वर्ष पूर्व हो गया है तथा प्रार्थी के पिता मांगीलालजी ने अपने 1/2 हिस्से में आई सभी आराजीयात का

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 13:38:01 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

मौखिक रुप से आज से करीब 25 वर्ष पूर्व अपने जीवन काल में बाहमी तौर से बटवारा कर दिया था, तथा खाता नं0 146 की आराजीयात में बाहमी बटवारे अनुसार विपक्षी नं० 1 शंकरलाल का 1/2 हिस्सा एवं प्रार्थी के पिता मांगीलालजी का 1/2 हिस्सा रहा एवं मांगीलालजी द्वारा उनके 1/2 हिस्से की भूमि बाहमी तौर से 25 वर्ष पूर्व अपने दोनो पुत्रो प्रार्थी एवं प्रार्थी के भाई मोहनलाल के मध्य बाहमी तौर से बटवारा कर देने से उक्त भूमि प्रार्थी के हिस्से व बटवारे मे रहने से प्रार्थी उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा हैं, तथा पूर्व में किये गये मौखिक बटवारे को मानते हुवे विपक्षी नं० 1 शंकरलाल द्वारा खाता नं0 146 की आराजीयात जो तालाब वाले कुआ के नाम से जानी जाती है उक्त आराजीयात में भी प्रार्थी व उसके पिता का 1/2 हिस्सा मानते हुवे इस आशय का एक समझौतापत्र विपक्षी न० 1 द्वारा प्राथर्थी के पक्ष में दिनांक 22/01/2017 को गांव के मौतबीर पंचो की मौजूदगी में निष्पादित कराया था, और प्रार्थी व उसके पिता का 1/2 हिस्सा माना था. प्रार्थी अपने पिता मांगीलालजी के जमाने से उक्त 1/2 हिस्से पर करीब 55 वर्ष से, तथा प्रार्थी के पिता द्वारा 25 वर्ष पूर्व बाहमी तौर से बटवारा कर देने से उक्त 1/2 हिस्से पर 25 वर्ष से प्रार्थी अकेला शांतिपूर्ण तरीके से बिना किसी बाधा के लगातार काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है, तथा प्रार्थी ने विपक्षी नं० 1 को उक्त 1/2 हक हिस्से की भूमि प्रार्थी के नाम 1/2 हिस्सा घोषित करा कर उक्त भूमि प्रार्थी के नाम खातेदारी में दर्ज कराने हेतु विपक्षी नं० 1 को कहा तो विपक्षी नं० 1 प्रार्थी के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज कराने मे टाल चाल कर रहा है व नाम पर कराने से इंकार हो गया हैं तथा प्रार्थी व गांव के मौतबिरान द्वारा विपक्षी नं० 1 को समझाने बुझाने पर भी विपक्षी नं० 1 किसी भी सुरत मे मानने को तैयार नही है, जबकि प्रार्थी लगातार 25 वर्ष से अधिक समय से लगातार कब्जे के आधार पर बाय वर्चु ऑफ एडवर्स पजेशन से राज० का० अधि० की धारा 63 (1) (4) के तहत उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार हो गया हैं, इसलिए प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात में अपना 1/2 हिस्सा घौषित कराने का अधिकारी हैं, तथा प्रार्थी खाता नं0 109 आराजीयात में राजस्व रेकार्ड मे दर्ज अनुसार व खाता नं0 146 की आराजीयात का अपना हिस्सा, अलग घौषित करा राजस्व रेकार्ड में दर्ज करा कर बंटवारा कराने का अधिकारी हैं।

3. वाद ग्रस्त आराजीयात प्रार्थी की पुश्तैनी पैतृक सम्पत्ति है जो प्रार्थी के पिता मांगीलालजी के जमाने से चली आ रही हैं, तथा प्रार्थी अपने पिता मांगीलालजी के जमाने से खाता नं0 146 के 1/2 हिस्से पर करीब 55 वर्ष से, तथा प्रार्थी के पिता द्वारा 25 वर्ष पूर्व बाहमी तौर से बटवारा कर देने से उक्त 1/2 हिस्से पर 25 वर्ष से प्रार्थी अकेला शांतिपूर्ण तरीके से बिना किसी बाष्या के लगातार काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है. ताथा प्रार्थी ने विपक्षी नं० 1 को उक्त 1/2 हक हिस्से की भूमि प्रार्थी के नाम 1/2 हिस्सा घोषित करा कर उक्त भूमि प्रार्थी के नाम खातेदारी में दर्ज कराने हेतु विपक्षी नं० 1 को कहा तो विपक्षी नं० 1 प्रार्थी के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज कराने में टाल चाल कर रहा है व नाम पर कराने से इंकार हो गया है तथा प्रार्थी व गांव के मौतबिरान द्वारा विपक्षी नं० 1 को समझाने बुझाने पर भी विपक्षी नं० 1 किसी भी सुरत मे मानने को तैयार नहीं है, तथा वाद ग्रस्त खाता नं0 146 की भूमि विपक्षी नं० 1 के नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज होने के कारण विपक्षी नं० 1 अपने परिजनो के बहकावे में आकर वादग्रसत भूमि को हस्तांतरण रहन बय बक्शीश के माध्यम से खुर्द बुर्द हस्तांतरीत करना चाहता है, तथा राजस्व रेकार्ड मे परिवर्तन करने पर आमादा है तथा प्रार्थी को उसके 1/2 हक हिस्से व कब्जे की आराजीयात से जबरन बेदखल करने पर आमादा है तथा प्रार्थी को उसके 1/2 हक हिस्से की भूमि की हकाई जुताई फसल बुवाई फसल लाने ले जाने में बाधा पैदा कर रहा है तथा प्रार्थी एवं गांव के मौतबीर व्यक्तियों द्वारा विपक्षीगण को समझाने बुझाने पर भी वे नहीं मान रहे है। इसलिए विपक्षीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित कराने का अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 13:38:01 IST
Reason: SelfAttested

4. प्रार्थी का वाद ग्रस्त आराजीयात के खाता नं० 146 की आराजीयात के 1/2 हक हिस्से पर शांतिपूर्ण तरीके से कब्जा चला आ रहा है इसलिए प्रार्थीगण का प्रथम दृष्ट्या प्रकरण है, सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष मे है तथा वादग्रस्त आराजीयात से प्रार्थीगण को

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

उसके हक हिस्से व कब्जे की भूमि से जबरन बेदखल करने व वादग्रस्त भूमि को खुद बुर्द, हस्तांतरण करने की सूरत मे अपूर्णिय क्षति प्रार्थीगण को होगी।

5. प्रकरण दर्ज किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षी क्रमांक 1 के की ओर से अधिवक्ता श्री अनुराग औझा ने मूल वाद में अधिकार पत्र मय जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षी संख्या 1 ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि

1- आवेदन पत्र की चरण सं. 1 का उत्तर यह है कि प्रार्थी ने तथ्यो को छुपाकर गलत दावा पेश किया है जो आगे चलकर निश्चित रूप से खारीज होगा ऐसी पुरी संम्भावना है।

2- आवेदन पत्र की चरण सं. 2 का उत्तर यह है कि खतौनी सं. 109 में वर्णित आराजीयात वादीगण और प्रतिवादीगण की शामलाती खातेदारी में अंकित होना स्वीकार है जिसमें वादी और प्रतिवादी कमांक 1 से 4 का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं. 5 का अकेले का 1/2 हिस्सा होकर संयुक्त खातेदारी व कब्जेकाश्त में अंकित चली आ रही है और इसी प्रकार खतौनी सं. 146 में वर्णित कृषि भूमि विपक्षी शंकरलाल की अकेले की दर्ज चली आ रही है इसमें वादी और प्रतिवादी सं. 1 से 4 का कोई ताल्लुक सरोकार सम्बन्ध नहीं है, वादी के पिता मांगीलाल जी की करीब 50 साल पुर्व पृथ्वीराज जी के जीवन काल में ही पृथ्वीराज जी से अलग हो गये थे और अपना अलग अलग धन्धा करते थे इस भूमि का प्रारम्भं से विपक्षी शंकरलाल का ही कब्जा चला आ रहा है विवादीत कृषि भूमि जिसका अंकन खतौनी सं. 146 में किया जा रहा है वह संयुक्त परिवार की आमदनी से नही बनी है बल्कि विपक्षी शंकरलाल जी की ईच्छा शक्ति से उन्होने स्वंय मैहनत करके इस भूमि का संर्वधन किया है और उसे कृषि योग्य बनाया है वादी का और मांगीलाल जी के अन्य पुत्रो का इस भूमि से कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है और वह इस भूमि का बंटवाडा कराने के अधिकारी नही है।

3- आवेदन पत्र की चरण सं. 3 का उत्तर यह है कि खतौनी सं. 146 में वादी का और मोहन लाल जी के अन्य पुत्रो का कोई हिस्सा नही है और ना ही वह इसकाबंटवाडा कराने के अधिकारी है और इसका मौके पर आराजी नम्बर 146 का कोई बंटवाडा वादी व प्रतिवादी कमांक 1 व 4 के मध्य नही किया गया है खतौनी सं. 146 की भूमि का कब्जा अकेले शंकरलाल जी का है और इसका कभी कोई बंटवाडा मांगीलाल जी के जीवन काल में शंकरलाल जी के मध्य नहीं हुआ और वादी और मांगीलाल जी के अन्य वारिसान का खतौनी सं. 146 में कोई हिस्सा नही है और खतौनी सं. 109 में प्रतिवादी सं. 5 कोई आपत्ति नही है। इसलिए वादी खतौनी सं. 146 में वर्णित आराजीयात में अपना 1/2 हिस्सा घोषित करा कर राजस्व अभिलेखो में दर्ज करा कर बंटवाडा कराने का अधिकारी नही है। शेष कथन सम्पुर्ण रूप से अस्वीकार है।

4- आवेदन पत्र की चरण सं. 4 का उत्तर यह है कि खतौनी सं. 109 की आराजीयात पैतृक सम्पत्ति है जिसका बंटवाडा कराने में हिस्से अनुसार विपक्षी शंकरलाल को आपत्ति नही है परन्तु खतौनी सं. 146 की आराजीयात से वादी का और स्व. मांगीलाल जी का कोई अधिकार नही है 25 वर्षों से अकेले वादी का कब्जा होना भी स्वीकार नही है बल्कि खतौनी सं. 146 की भूमि पर प्रतिवादी सं० 5 का अकेले का कब्जा प्रारम्भं से ही चला आ रहा है और प्रतिवादी सं. 5 ही इस भूमि का खातेदार काश्तकार है ओर वो ही काबिज है वादी इस मुकदमें की आडलेकर प्रतिवादी सं. 5 को जबरन बेदखल करना चाहता है जिसका उन्हें कोई कानुनी अधिकार नही है [illegible]वादी सं. 5 के विरूद्ध किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्र[illegible] नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Panchboli
Date: 2025.01.29 13:38:01 IST
Reason: SelfAttested

5- आवेदन पत्र की चरण सं. 5 का उत्तर यह है कि प्रार्थी का कोई कब्जा खतौनी सं0 146 की आराजीयात पर नही है उनका कोई 1/2 हिस्से पर कब्जा नही है इसलिए प्रार्थी का कोई प्रथम दृष्टिया प्रकरण नही है। सुविधा का संतुलन भी विपक्षी के पक्ष में है और

न्यायालय सहायक कलक्टर निम्बाहेड़ा-जिला चित्तौड़गढ़
सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

प्रार्थी विपक्षी को इस आवेदन पत्र की आड में जबरन बेदखल करना चाहता है जिसका उसे कोई अधिकार नही है।

6. बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थिया के अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया जाने का निवेदन किया तथा विपक्षीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा निवेदन किया कि खतौनी सं. 109 की आराजीयात पैतृक सम्पति है जिसका बंटवाडा कराने में हिस्से अनुसार विपक्षी शंकरलाल को आपत्ति नही है परन्तू खतौनी सं. 146 की आराजीयात से वादी का और स्व. मांगीलाल जी का कोई अधिकार नही है 25 वर्षों से अकेले वादी का कब्जा नही है बल्कि खतौनी सं. 146 की भूमि पर प्रतिवादी सं० 5 का अकेले का कब्जा प्रारम्भं से ही चला आ रहा है और प्रतिवादी सं. 5 ही इस भूमि का खातेदार काश्तकार है ओर वो ही काबिज है वादी इस मुकदमें की आड लेकर प्रतिवादी सं. 5 को जबरन बैदखल करना चाहता है जिसका उन्हें कोई कानुनी अधिकार नही है वादी प्रतिवादी सं. 5 के विरूद्ध किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित कराने का अधिकारी नही है।

उपर्युक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 212 के आलोक में सर्वप्रथम अस्थाई निषेधाज्ञा के कानूनी बिन्दुओं विश्लेषण प्रकरण के तथ्यों के मद्देनजर आवश्यक प्रतीत होता है। किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष सिद्ध करने हेतु तीन महत्वपूर्ण व अपरिहार्य बिन्दु है जिनका विशलेषण इस प्रकार है–

I. <u>प्रथम दृष्टया मामला</u>– हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं दस्तावेजो के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजियात प्रार्थी की पुश्तेनी पेतृक आराजियात है जिसमें प्रार्थी के पिता की नाम की आराजियात में प्रार्थी का जन्म से हक अधिकार है और विपक्षी क्रमांक 1 ने प्रार्थी के पिता की नाम की जमीन अपने नाम पे करवा ली और वह उक्त भूमि को विक्रय करने पर आमदा है जबकि प्रार्थी का अपने पिता की जमीन में पुश्तेनी हक हिस्सा निहित है यदि विपक्षी क्रमांक 1 प्रार्थी के हक हिस्से की आराजियात को विक्रय कर देता है और उसके हक हिस्से से जबरन बेदखल कर देता है तो प्रार्थी को अपूर्णिय क्षति होगी इस प्रकार प्रार्थिया के पक्ष में प्रथम दृष्टया प्रकरण बनता है।

II. <u>अपूरणीय क्षति</u>– किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रकरण सिद्ध करने हेतु विवादित आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा के अभाव में प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होना द्वितीय शर्त है। विपक्षी क्रमांक 1 ने प्रार्थी के पिता की नाम की जमीन अपने नाम पे करवा ली और वह उक्त भूमि को विक्रय करने पर आमदा है जबकि प्रार्थी का अपने पिता की जमीन में पुश्तेनी हक हिस्सा निहित है यदि विपक्षी क्रमांक 1 प्रार्थी के हक हिस्से की आराजियात को विक्रय कर देता है और उसके हक हिस्से से जबरन बेदखल कर देता है तो प्रार्थी को विवादित आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा के अभाव में अपूरणीय क्षति होना साबित होता है।

III. **सुविधा का संतुलन :–** किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रकरण सिद्ध करने हेतु विवादित आराजी पर प्रार्थी के पक्ष में सुविधा का संतुलन का झुकाव होना तृतीय शर्त है। विवादित आराजी में प्रथम दृष्टया मामला व अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में होने से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है।

Signature Not Verified
Digitally Signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 13:38:01 IST
Reason: SelfAttested

7. हमने विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 212 के आलोक में अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन महत्वपूवर्ण कानूनी बिन्दुओं को विश्लेषण किया। तीनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होते है। पत्रावली के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी एवं विपक्षी

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

न.1 की शामलाति खातेदारी भूमि हैं इसलिए प्रथम दृष्टया मामला एवं अपूरणीय क्षति एवं सुविधा का संतुलन बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित हुए हैं। इसलिए प्रकरण में पूर्व में दिनांक 11.06.2019 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी। जिसे न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। अतः प्रकरण में पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल वाद के निस्तारण तक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता हे।उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

—:आदेश:—

पत्रावली का अवलोकन किया गया पक्षकारान के लायक अभिभाषकगण की बहस पर गोर किया। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में साबित हो रहे है अतः प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हकदार है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साबित होने से स्वीकार किया जाता है। यह प्रार्थना पत्र हक अधिकार का अंतिम निधारण नहीं करता है हक अधिकार का प्रश्न वाद शहादत मूल वाद मे तय होगा तब तक मूल वाद के निस्तारण तक विपक्षीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वाके मौजा टाटरमाला पटवार हल्का मिण्डाना तहसील निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 109 की आराजी नंबर 74 रकबा 1.1700 हैक्टेयर, आराजी नंबर 172 रकबा 0.2800 हैक्टेयर, आराजी नंबर 376 रकबा 0.2500 हैक्टेयर, आराजी नंबर 377 रकबा 0.2200 हैक्टेयर, आराजी नंबर 381 रकबा 0.3700 हैक्टेयर, आराजी नंबर 382 रकबा 0.3200 हैक्टेयर, आराजी नंबर 525 रकबा 0.0100 हैक्टेयर गेमुचाह, आराजी नंबर 526 रकबा 1.2600 हैक्टेयर भूमि की मूल वाद के निस्तारण तक मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे। खर्चा फरीकेन अपना—अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 06.11.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 13:38:01 IST
Reason: SelfAttested